न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 136 / 2012

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. बालुराम पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. देवीलाल पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. विद्या पुत्री बालुराम पत्नि महेन्द्र जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर ।

– **असल प्रतिवादीगण**

4. रक्षा पुत्री ओमप्रकाश जाति जॉट साकिन डुमासर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. रविना पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जरिये बली माता सलोचना देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 30/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 18 की साबिका ख.न. 58 मीन की 30 बीघा व 29 मीन की 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि कुल 41 बीधा 7 बिस्वा भूमि एवं खाता सं. 93 के साबिका ख.न. 29 मीन की 10 बीघा बाता से 5 की साबिका ख.न. 28 मीन की 51 बीघा 7 बिस्वा भूमि खसरा 87 / 222 की साबिका ख.. 28 व 59 भीन की 43 बीघा 13 बिस्वा भूमि कुल 146 बीघा 7 बिस्वा भूमि के छत्तु वल्द सांवला जाति जाट खातेदार काश्तकार थे। उक्त भूमि उनकी स्वजर्जित एवं खुद की पैदाकर्ता भूमि थी तथा उन्ही के कब्जा काश्त में रही है तथा वे जीवन पर्यन्त उक्त भूमि के तन्हा खातेदार काश्तकार रहे है।

गत पैमाईश भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा सम्बत 2029 ता 2038 में साबिका खसरा 58 व 29 व 28 व 59 मीन के हाल खसरा न. 166, 182, 249 में तब्दील व पैमुद एवं परिवर्तित कर दी है प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल सलन है जिससे यह स्पष्ट रोशन है। छत्तु वल्द सांवला कौम जाट फौत हो गये है तथा उक्त [illegible] अमीलाल में दर्ज हो गई तथा सुरजी देवी भी फौत हो गई तथा वाद [illegible] गई जिस पर अमीलाल वगैराह पर उनके पुत्र राजकरण [illegible] जिस पर राजकरण [illegible] में वाद डिक्री होकर अमीलाल के वारिसान के दर्ज हो गई वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व [illegible] भाईयों बहिनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल में खसरा सं. 166/5 की 2.2130 हैटर भूमि, खसरा सं. 182 की 10.3310 हैक्टर खसरा 249/2 की 5.7280 हेक्टर भूमि कुल 18.2720 हैक्टर भूमि में तब्दील होकर दर्ज राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.284 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 142/147 के ख.न. 3.1360 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने दर्ज करवाली है जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 ता 5 सयुक्ततः प्रतिवादी सं. 2 ता 3 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा वे प्रतिवादी सं. 1 के कोपार्सनर है तथा उक्त वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जद्दी जायदाद है। रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खसरा सं. 116/5 की 2.2130 हैटर भूमि, खसरा सं. 182 की 10.3310 हैक्टर खसरा 249/2 की 5.7280 हैक्टर भूमि कुल 18.2720 हैक्टर भूमि गलत तौर से कर्ता खानदान होने के कारण अपने नाम 1/8 हिस्सा यानि 2.284 हैक्टर भूमि दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि दादा छत्तु वल्द सांवला द्वारा अर्जित एवं खुद की पैदा कर्दा भूमि है जो हिन्दु मुस्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिससे वादी व प्रतिवादी सं. 1 तरतीबी प्रतिवादी का पैदायशी हक व हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 के कोपार्सनर है तथा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/8 हिस्सा अर्थात 2.284 हैक्टर भूमि हिस्से में वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 ता 5 सयुक्ततः तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 3 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. के खातदार काश्तकार है अर्थात वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 ता 5 सयुक्ततः 0.571 हैक्टर प्रतिवादी सं. 2 ता 3 प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक ०. 571 हैक्टर भूमि के अलग–अलग खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 142/147 के ख.न. 166/1 3.1360 हैक्टर भूमि जो बालु राम वल्द अमीलाल कौग जाट प्रतिवादी सं. 1 के अकेले ने दर्ज करवा ली जो हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 ता 5 सयुक्ततः तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 3 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. के खातदार काश्तकार है उक्त आश्यों वादी घोषणा करवापाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

अत वाद वादी घोषित किया जावे कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खसरा सं. 165/5 की 2.2130 हैक्ट भूमि, खसरा सं. 182 की 10.3310 हैक्टर खसरा 249/2 की 5.7280 हैक्टर भूमि कुल 18.2720 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/8 हिस्सा अर्थात 2.284 हैक्टर भूमि हिस्से में वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 ता 5 सयुक्ततः 0.571 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 3 प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 0.571 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 142/147 के ख.न. 166/1 3.1360 हैक्टर भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 ता 5 सयुक्ततः तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 3 प्रतिवादी प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 क[illegible] काश्तकार है उक्त आश्यों की वादी घोषणा करवापाने का अधिकारी है [illegible] आश्यों की जारी की जावे कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के [illegible] 2.2130 हैटर भूमि, खसरा सं. 182 की 10. 3310 हैक्टर खसरा 249/2 की 5.7280 हैक्ट[illegible] भूमि कुल 18.2720 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सं. 1 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा यानि 2.284 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 142/147 के ख.न. 166/1 3.1360 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी सं. 1 रहन / बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति धनाये रखे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्साा नही है। प्रतिवादी स0 4 व 5 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादी जो की प्रतिवादी स0 4 व 5 का पिता है ने अपनी पत्नी यानि की उत्तरदता की माता को घर से निकाल रखा है यदि भूमि वादी अकेले के नाम दर्ज हो गयी तो वादी उसे बैय कर देना एवं प्रतिवादी स0 4 व 5 को उसके हक व हिस्सा से महरूम कर देंगे अत उक्त भूमि में से वादी का जितना हक हिस्साा बनता है उसमें से प्रतिवादी स0 4 व 5 जो की वादी के वारिसान है का भी हक हिस्सा बनता है वह प्रतिवादी के नाम किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जावे। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी व प्रतिवादी ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये। बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है प्रतिवादी स0 4 व 5 का कथन है कि वादी जो की प्रतिवादी स0 4 व 5 का पिता है ने अपनी पत्नी यानि की उत्तरदता की माता को घर से निकाल रखा है यदि भूमि वादी अकेले के नाम दर्ज हो गयी तो वादी उसे बैय कर देना एवं प्रतिवादी स0 4 व 5 को उसके हक व हिस्सा से महरूम कर देंगे अत उक्त भूमि में से वादी का जितना हक हिस्साा बनता है उसमें से प्रतिवादी स0 4 व 5 जो की वादी के वारिसान है का भी हक हिस्सा बनता है वह प्रतिवादी के नाम किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जावे अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी स0 4 व 5 द्वारा चाहे गये अनुतोष के मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जावे।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खसरा सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

165/5 की 2.2130 हैक्ट भूमि, खसरा सं. 182 की 10.3310 हैक्टर खसरा 249/2 की 5.7280 हैक्टर भूमि कुल 18.2720 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 की बजाय उक्त भूमि में से वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/32 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के ख.न. 166/1 की 3.1360 हैक्टर भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....30/03/26.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 136/2012

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. बालुराम पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. देवीलाल पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. विद्या पुत्री बालुराम पत्नि महेन्द्र जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर ।

– असल प्रतिवादीगण

4. रक्षा पुत्री ओमप्रकाश जाति जॉट साकिन डुमासर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. रविना पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जरिये बली माता सलोचना देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 136 सन 2012 निर्णय दिनांक 30/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्री संतलाल तिवाड़ी की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खसरा सं. 165/5 की 2.2130 हैक्ट भूमि, खसरा सं. 182 की 10.3310 हैक्टर खसरा 249/2 की 5.7280 हैक्टर भूमि कुल 18.2720 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 की बजाय उक्त भूमि में से वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/32 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के ख.न. 166/1 की 3.1360 हैक्टर भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर